न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 03 / 2024
निर्णय दिनांक:– 12.09.2024
बइजलास:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

उनवान

1. अभिनव साबू पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार साबू निवासी पी.ए. 64 श्रीराम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर (राजस्थान) जरीये मुख्यत्यार श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मूल सिंह शेखावत निवासी 136 शेखावत कालोनी सिरसी रोड़, मीनावाला जयपुर (राजस्थान)

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री धापू देवी पत्नी स्व० श्री लाला आयु वयस्क जाति यादव निर्वासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान
2. श्री बाबूलाल पुत्र स्व० श्री लाला आयु वयस्क जाति यादव निवासी मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान।
3. श्री भरतराज पुत्र स्व० श्री लाला आयु वयस्क जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान।
4. श्री मोहन पुत्र स्व० श्री लाला आयु वयस्क जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान।
5. सीता देवी पुत्री स्व० श्री लाला आयु वयस्क जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान।
6. ग्राम पंचायत मण्डोर जरिये सरपंच तहसील फागी जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री विनय कुमार जैन वकील अपीलाण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश ग्राम पंचायत मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर दिनांक 22.02.2024 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 1344 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण प्रत्यर्थी संख्या–1 ता 5 के नाम खोल दिया गया।

निर्णय दिनांक:– 12.09. 2024

अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि श्री लाला पुत्र श्री सेडूराम जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान के कब्जे काश्त खातेदारी की

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

भूमि खसरा नम्बर 1113/126 रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित थी। श्री लाला पुत्र श्री सेडूराम जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान को रूपयो की आवश्यकता होने पर उनके द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 1113/126 रकबा 15 बीघा में स्वयं के हिस्सा 2/5 समस्त भूमि का बेचान प्रतिफल राशि रूपये 28,11,000/– के बदले जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी को कर दिया। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 22–01–2013 को उप पंजीयक फागी के यहाँ पंजीकृत किया गया। जिस पर उक्त दिवस से अपीलार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रयशुदा भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ होने से और प्रार्थी के द्वारा विधिवत रूप से क्लेम प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण सहवन से नामान्तकरण अपीलार्थी के नाम नहीं खोले जाने से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड पूर्व खातेदारान के नाम ही दर्ज रहा। इसी अवधि में खातेदार लाला कि वर्ष मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान प्रत्यर्थी संख्या–1 ता 5 के द्वारा सरपंच महोदय के समक्ष स्वयं को पूर्व खातेदार लाला के एकमात्र विधिक वारीस होना बताकर उक्त भूमि में श्री लालाराम के स्थान पर स्वयं के हक में विरासत का नामान्तकरण विधि विरूद्ध तरीके से श्री लाला के वारिसान के नाम खोल दिया गया जबकि उक्त विक्रय की जा चुकी भूमि से श्री लाल या उनके विधिक वारिसान का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहा। उक्त विधि विरुद्ध विरासत के नामान्तकरण संख्या 1344 दिनांक 22–02–2024 की जानकारी हाल ही में आवश्यकता होने पर राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 30–04–2024 को हुई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उक्त अपील निम्न वजुहातों पर पेश है:– अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांक 13–05–2016 विधि के प्रावधानों विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ न्यायालय निर्णय जैरे अपील पारित किये जाने में आज्ञापक कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त मौके की बिना जॉच किये विवादित निर्णय पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। श्री लाला पुत्र श्री सेडूराम जाति यादव निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी जिला जयपुर, राजस्थान के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1113/126 रकबा 15 बीघा हिस्सा 2/5 समस्त अपीलार्थी के अनन्य कब्जे स्वामित्व/हक खातेदारी की भूमि है। जिसे अपीलार्थी अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर इस तथ्य की जाँच किये बिना विधि के आज्ञापक सिद्वान्तो की अवहेलना कर विवादित निर्णय पारित किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय हैं। विवादित भूमि में प्रत्यर्थी

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार.....3

संख्या 1 ता 5 ने अवैध रूप से अपीलार्थी के हिस्सा खातेदारी पूर्व खातेदार के नाम राजस्व रिकार्ड में केवल दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर अपने नाम नामान्तकरण खुलवाया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। हाल ही में राजस्व रिकार्ड की नकल हेतु आवेदन करने पर प्रश्नगत निर्णय की जानकारी होने पर विवादित निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त की जिससे अपीलार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी के दिवस से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रारम्भतः शून्य होने से उक्त निर्णय की अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई मियाद नहीं है लेकिन फिर भी बजरूरत ऐतिहात अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने हेतु इस अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अपील को अन्दर मियाद माने जाने की कृपा करे। अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार में होने से न्यायालय श्रीमान को उक्त अपील सुनने एवं निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी फागी
सत्यमेव जयते
जिला – दूदू

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्टस की तलबी जारी की गई। दिनांक 02.09.2024 को प्रत्यर्थी सं. 1 लगायत 6 बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रत्यर्थी सं. 7 बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थीगण ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुये अपीलार्थीगण का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1344 को खारिज करने बाबत निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की हस्तगत प्रकरण अपील बाबत नामान्तकरण खारिज करने का पेश किया है। अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2013 को आराजी खसरा नं. 1113/126 रकबा 15 बिघा में 2/5 हिस्से की भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता लाला पुत्र सेडुराम जाति अहीर निवासी मण्डोर तहसील फागी से क्रय की है। क्रय करने के बाद उक्त आराजी बाबत समस्त हक अधिकार अपीलार्थी के हो गए है। एक बार विक्रय करने के बाद उक्त भूमि में विक्रेता लाला या उसके वारिसान का कोई हक शेष नही रह जाता है। इसके बावजूद भी विवादित नामान्तकरण संख्या 1344 दिनांक 22.02.2024 द्वारा उक्त भूमि का फौती नामान्तकरण खोलना कानूनन गलत है। विवादित भूमि में सर्वप्रथम हक अधिकार क्रेता अपीलार्थी के है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

लगातार............4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(4)

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 1344 दिनांक 22.02.2024 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता हैं। विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1113 / 126 रकबा 15 बीघा भूमि वाके ग्राम मण्डोर तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आरजीयात का मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2013 की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते